फर्द अहकाम

ज्ञानचन्द बनाम नाथुलाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

प्रकरण संख्या 62/23 विविध

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
	5/12/25	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि 23/1/26 को पेश हो। (रीडर)	
	23/1/26	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि 23/2/26 को पेश हो। (रीडर)	
	23/2/26	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि 13/3/26 को पेश हो। (रीडर)	
	13/3/26	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि 8/5/26 को पेश हो। (रीडर)	
	8/5/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रा० प० का जवाब पेश किया जाता है। वास्ते बहस हेतु पत्रावली दिनांक 21/5/26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राज.	
	21/5/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष द्वारा प्रा० प० आपत्ति प्रा० प० पर बहस की गयी। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील उभयपक्ष की बहस पत्रावली का अवलोकन पर मनन किया गया।	

फर्द अहकाम

सुगनचन्द बनाम गाढूलाल वगै.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

प्रकरण संख्या 62/23 वा.पा.

क. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	21/5/24 लगातार	किया गया। अवलोकन ~~के~~ उपरान्त जाहिर होता है कि वकील ~~वादी~~ वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र आपत्ति में कथन किया कि तहसीलदार शाहपुरा द्वारा मौके पर बिना निरीक्षण किये ही यह गृस्त आराजी में पुख्ता निर्माण होने से कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किया जाना संभव नहीं होने की रिपोर्ट मनमाने रूप से राजस्व मण्डल के बंटवारा नियम 18-21 के प्रावधानों के विपरीत पेश की है। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मौके पर उक्त खसरा नम्बर में अकृषि उपयोग होने के कारण (पक्के मकान एवं पुख्ता निर्माण है) अतः उक्त खसरा नम्बरान में कुर्रेजात रिपोर्ट/ बंटवारा रिपोर्ट तैयार किया जाना संभव नहीं है। प्रकरण में अकृषि उपयोग होने के कारण बंटवारा रिपोर्ट मंगवाया जाना सही प्रतीत नहीं होता है। अतः वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र आपत्ति प्रा० पत्र खारिज किया जाता है तथा वकील वादी का दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।